न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

राजस्व अपील संख्या 38/2008

1. श्री देवीलाल पुत्र श्री जवाना जाति रेगर निवासी पुष्कर।
2. श्री सोमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री पुखराज
3. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री पुखराज निवासी गंगा माई मंदिर के पास बडी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री सम्पत पुत्र श्री रामपाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी पुष्कर
2. श्री हरीश चंद पुत्र श्री रामपाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी पुष्कर
3. श्री मदनलाल पुत्र श्री सूजा निवासी कृष्णा कॉलोनी पोल्ट्री फार्म के पास मलूसर अजमेर
4. श्री रूपचंद पुत्र सुजा निवासी भण्डारी गली डिग्गी मौहल्ला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर
6. रतनलाल पुत्र स्व0 रामपाल अम्बेडकर कॉलोनी पुष्कर
7. श्री मूलचन्द पुत्र श्री लादू मृतक (नाम तर्क)
   7/1 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मूलचंद जाति रेगर, निवासी रेगरान मौहल्ला बडी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर
8. नेमीचंद पुत्र श्री अर्जुन पौत्र लादू
9. छीतरमल पुत्र स्व0 श्री शिवकरण पौत्र श्री लादू
10. चेतनप्रकाश पुत्रा स्व0 श्री शिवकरण पोत्र श्री लादू
11. श्रीमति पतासी पुत्री स्व0 श्री शिवकरण पोत्री श्री लादू
    समस्त जाति रेगर, निवासी बडी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर

..... **रेस्पोन्डेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956
(धारा 5 मियाद अधिनियम)

उपस्थितः–	1 श्री सुभाष निम्बावत	अभिभाषक अपीलान्ट
	2 श्री अजीत सिंह राठौड	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,6
	3 श्री निर्मल कुमार जैन	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1 से 11
	4 श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक – 01.04.2026

जिला कलक्टर
अजमेर

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर के दिनांक 26.02.1995 जो कि पत्रावली संख्या 5/94 में प्रस्तुत किया गया से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. सं0 1, 2 व 6, 7/1, 8 से 11 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोन्डेन्ट नंबर 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते धारा–5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांन्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की भू–प्रबन्धक का कोई भी नोटिस, सम्मन अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुये है और ना ही छोगालाल बोकोलिया ने किसी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को दी है और न ही देने का प्रश्न उठता। अपीलार्थी को सहायक भू–प्रबन्ध आदेश की जानकारी दिनांक 15.02.2007 को मिली जबकि मदनलाल ने इस आराजी को विक्रय करने की कोशिश की ओर नन्दकिशोर पुत्र रामदेव जाति रेगर से इस बाबत बातचीत की श्री नन्दकिशोर पुत्र रामदेव ने अपीलार्थी को दिनांक 15.02.2007 को बताया कि 20.02.95 को भंवरलाल, देवीलाल और पुखराज का नाम हटाने के आदेश दिये है। इस प्रकार अपीलार्थी देवीलाल ने नकल प्राप्त की ओर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अपीलार्थी को सहायक भू–प्रबन्ध की कार्यवाही की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी ओर न ही इस बाबत कोई सम्मन प्राप्त हुये इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.02.2007 को हुई है और जानकारी के अभाव में ही अपीलार्थी पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक एवं न्याय संगत कारण से प्रेरित है। साथ ही साथ अपील के अन्दर अन्तहिति विवाद बिन्दू गुणावगुण पर सुनने योग्य है इसलिए देरी किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में देरी को क्षमा करने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.1995 के विरूद्व अपील दिनांक 07.03.2007 को करीब 12 वर्ष की अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई जो भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.1995 की अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व पूर्ण जानकारी थी एवं रही। अपीलार्थी को दिनांक 15.02.2007 को ही हुई हो के सन्दर्भ में कोई आधार, ही नहीं दर्शाया गया, धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार मियाद की प्रतिदिवस का स्पष्ट्रीकरण आवश्यक है, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई विवरण ही नहीं दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकर कर अपील खारिज फरमावे। साथ ही निवेदन किया गया की अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में आवेदनकर्तागण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 40/99 मूलचंद व अन्य बनाम रामपाल व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20.04.1999 को प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपील अपीलांट 12 वर्ष की भारी अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसका उचित कारण भी नहीं दिया गया हैं। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अपीलांटगण इसी स्तर पर खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी द्वारा यह अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.1995 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.02.2007 को हुई तथा कथन किया की यह जानकारी मिली की अपीलाधीन आराजी विक्रय करने की कोशिश की व नन्दकिशोर पुत्र रामदेव रेगर से इस सबंध में बातचीत की कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी नन्दकिशोर पुत्र रामदेव से होना अवगत कराया तत्पश्चात नकल लेकर अपील प्रस्तुत की गई यह अपील दिनांक 12.03.2007 को प्रस्तुत की गई परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए यहां तक की नन्दकिशोर पुत्र रामदेव का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया कि जानकारी उसके द्वारा दी गई। इस कारण अपीलार्थी द्वारा अंकित तथ्य विश्वसनीय नहीं है इतना लम्बी अवधि को कण्डोन किये जाने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है। अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में आवेदनकर्तागण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 40/99 मूलचंद व अन्य बनाम रामपाल व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 20.04.1999 को प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। चूंकि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण के 12 वर्ष के विलम्ब के लिये कोई उचित व ठोस कारण प्रदर्शित नहीं किया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है। परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर